जज अदालत अतिरिक्त कलक्टर (शाहपुरा) मुकाम शाहपुरा

प्रभूदास बैरागी बनाम प्रेमनारायण

किस्म मुकदमा निगरानी नं0 1 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवलस जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/3/19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित, स्थगन प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम बहस सुनी गई। अतः पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18.03.2019 को पेश हो।	
18/3/19	पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य से बाहर गये हुये हैं अतः पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28.03.2019 को पेश हो।	
28.3.19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगण की अन्तरिम बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि वांके ग्राम बैंठा में आराजी ख.नं. 302 रकबा 7.12 बीघा जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2046–49 में बंजड प्रथम सिवायचक थी। जिसमें से प्रार्थी के पिता प्रभूदास के 4.12 बीघा भूमि दिनांक 28.04.1986 को विधिवत आवंटन की गई। आवंटन पश्चात् दखल व कब्जा संम्भलाया गया है। तभी से उक्त आवंटन शुदा भूमि पर प्रार्थी के पिता प्रभूदास निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थी के पिता के आवंटनशुदा रकबा 4.12 बीघा सहित ख.नं. 302 के सम्पूर्ण रकबे साथ 7.12 बीघा को बिना किसी जांच व तहकीकात के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना अप्रार्थी के हक में दिनांक 14.12.2004 को पुनः आवंटन कर दिया, जबकि उक्त आराजी पूर्व में ही प्रार्थी के पिता को आवटन होकर कब्जे काश्त में थी, दिनांक 19.06.2018 को अप्रार्थी क्रम–1 प्रेमनारायण ने उक्त विवादित आराजी में निर्माण कार्य करने के ध्येय से पत्थर तथा बजरी ट्राली डाल दी, प्रार्थी ने रोका व मना किया तो अप्रार्थी लडाई झगड़ा करने पर आमादा हो गया। विवादित भूमि कृषि है, जिसे किस्म परिवर्तन कराये बिना अप्रार्थी कों आवासीय निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है इस कारण अप्रार्थी क्रम–1 को ता फैसला मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी विवादित आराजी जो कि कृषि भूमि है, पर अवैधानिक रूप में निर्माण करने में सफल हो जावेगा, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, साथ ही विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने ग्राम बैठा ख.नं. 302 रकबा 7.12 बीघा भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने का अनुरोध किया। हमने बहस पर मनन किया व स्थगन प्रार्थना पत्र तथा उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया ग्राम बैठा में ख.नं. 302 रकबा 7.12 बीघा भूमि में हो रहें निर्माण को स्थागित रखना बिना दूसरे पक्ष को सुने उचित नहीं है। परन्तु दौराने अपील मौके पर किसी प्रकार परिवर्तन नहीं हो तथा विवादित भूमि पर कोई अपूर्णीय क्षति नही हो। विद्वान अभिभाषक के इस तर्क से हम सहमत है। अतः प्रार्थी के कब्जे की भूमि ग्राम बैठा की ख.नं. 302 रकबा 7.12 की भूमि के सम्बन्ध में मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावें। पत्रावली नियत दिनांक 9-5-19 को पेश हो।	